संख्या 817 /22–XIX-2/38 खाद्य/2020 टीसी

प्रेषक,

डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– आयुक्त,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार/चम्पावत/देहरादून/पौड़ी/नैनीताल।

3– संभागीय खाद्य नियंत्रक,
गढवाल संभाग, देहरादून/कुमायूँ संभाग, हल्द्वानी।

4– महाप्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

5– निदेशक,
मण्डी परिषद,उत्तराखण्ड,
रूद्रपुर।

6– प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ लि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–2 देहरादून, दिनाँक 20 सितम्बर, 2022

विषय : खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 में विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कच्चा आढ़तिया (कमीशन एजेन्ट) के माध्यम से धान की क्रय नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक खाद्यायुक्त के पत्र सं0 1368/आ0विशा0/मॉ0ड्रा0/2022–23 दिनांक 27.08.2022 तथा पत्र संख्या 1515/आ0वि0शा0/मॉ0ड्रा0/2022–23 दिनांक 16.09.2022के द्वारा खरीफ विपणन सत्र 2022–23 में कच्चा आढ़तिया के माध्यम से धान की खरीद नीति के प्रस्तावित मॉडल ड्राफ्ट अनुमोदन हेतु प्राप्त हुआ है।

उक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खरीफ–खरीद सत्र 2022–2023 में दिनांक 01.10.2022 से निम्न प्रस्तरों में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की मण्डियों में कृषकों द्वारा अपनी उपज का विक्रय हेतु लाया गया धान कच्चा आढतिया (कमीशन एजेन्ट) के माध्यम से क्रय किया जायेगा। धान की खरीद हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने हेतु समय सारिणी, शासनादेश संख्या 732/22–XIX-2/38 खाद्य/2020, दिनाँक 16.08.2022 द्वारा जारी की जा चुकी है। जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1. धान का समर्थन मूल्य :–

भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 हेतु मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (क्रय मूल्य) निर्धारित गुणविनिर्दिष्टियों के आधार पर निम्नवत निर्धारित किया गया है:–

धान श्रेणी	मूल्य रूपये प्रति कुन्टल
कॉमन	2040.00
ग्रेड "ए"	2060.00

2. **धान क्रय की अवधि–**

खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 के अन्तर्गत राज्य में धान क्रय की अवधि 01 अक्टूबर, 2022 से 31 जनवरी, 2023 तक होगी।

3. **कच्चा आढतिया द्वारा धान क्रय हेतु समय का निर्धारण –**

3(1) सामान्यतः कच्चा आढतिया द्वारा प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक धान का क्रय किया जायेगा। जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कच्चा आढतिया के माध्यम से धान क्रय हेतु समय में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु अधिकृत होंगे।

3(2) कृषकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर, शेष कार्य दिवसों में धान क्रय केन्द्र खुले रहेंगे। जनपदों में निरन्तर अवकाश होने की स्थिति में जिलाधिकारी अपने–अपने जनपदों में कृषकों की सुविधा के लिये कच्चा आढतिया के माध्यम से भी धान क्रय कराने हेतु निर्णय ले सकते हैं।

4– **गुणविनिर्दिष्टियाँ–**

खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुसार ही धान का क्रय किया जायेगा।

5– **कृषक पंजीयन–**

5(1) खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 में कच्चा आढतिया द्वारा धान के क्रय हेतु कृषक को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के https://ekhareedfcs.uk.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह पंजीकरण कृषक द्वारा स्वयं, कच्चा आढतिया के केन्द्र पर, जनसूचना केन्द्रों के माध्यम से अथवा साइबर कैफे के माध्यम से कराया जा सकेगा।

5(2)– प्रत्येक कृषक का कच्चा आढतिया द्वारा ई–खरीद पोर्टल पर पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा। दिनांक 11.08.2022 से कृषकों के पंजीकरण हेतु पोर्टल को ऑनलाईन कर दिया गया है तथा दिनांक 30.09.2021 तक पंजीकरण करने की सुविधा प्रदत्त की गयी है। विषम परिस्थितियों में निर्धारित तिथि तक जिन कृषकों का पंजीकरण न हो पाया हो, ऐसे कृषकों का पंजीकरण उनके द्वारा अपने उत्पाद को विक्रय हेतु लाये जाने पर सर्वप्रथम कच्चा आढतिया द्वारा उनके पंजीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायेगी।

6. **कृषक पंजीकरण में अंकित भूमि का वेरीफिकेशन तथा ई–खरीद व्यवस्था–**

6(1) खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 में समस्त कच्चा आढतिया ई–खरीद पोर्टल पर ऑनलाइन धान क्रय की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से अपनायेंगे। कृषक की भूमि का ऑनलाईन वेरीफिकेशन राजस्व विभाग की भूलेख सम्बन्धी वेबसाइट से लिंकेज देकर आनलाइन कराया जायेगा। यदि किसी कृषक की भूमि राज्य के भूलेख पोर्टल पर दर्ज/अपडेट नहीं है तो ऐसे कृषकों का पूर्व वर्षों में प्रचलित व्यवस्था अनुसार वेरीफिकेशन किया जायेगा।

6(2) समस्त कच्चा आढतिया अपने संसाधनों से कम्प्यूटर/लैपटॉप, आईपैड, इन्टरनेट कनेक्शन, मानव संसाधन व इस निमित्त अन्य आवश्यक आधारभूत व्यवस्थायें समय से सम्पन्न करेंगे।

6(3) धान खरीद हेतु संचालित ई–खरीद पोर्टल के विभिन्न मॉड्यूल जो कि भारत सरकार के सी0एफ0पी0पी0 (सेन्ट्रल फूड ग्रेन प्रोक्योरमेण्ट पोर्टल) को भी सपोर्ट करेगा, के लिये धान खरीद का प्रत्येक विवरण ई–खरीद मॉड्यूल पर फीड करना अनिवार्य होगा। केवल उसी खरीद को मान्यता दी जायेगी, जो ऑनलाइन फीड होगी। ऑफलाइन खरीद किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी। धान क्रय के साथ–साथ धान का प्रेषण, धान की प्राप्ति, सी0एम0आर0 प्रेषण, सी0एम0आर0 प्राप्ति तथा एक्नॉलेजमेन्ट निर्गमन, बिलिंग आदि की प्रकियायें मिलर मॉड्यूल, डिपो मॉड्यूल, बिलिंग आदि मॉड्यूल प्रत्येक स्तर पर ऑनलाइन सम्पादित की जायेंगी।

7. कच्चा आढतिया की स्थापना एवं संचालन की व्यवस्था–

जनपद की परिस्थितियों एवं क्षेत्र में धान की पैदावार एवं आवक के आधार पर नामित कच्चा आढतियों का निर्धारण सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा किया जायेगा।

सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा जिलेवार पंजीकृत कच्चा आढतिया की सूची सम्बन्धित जिलाधिकारियों एवं आयुक्त, खाद्य को उपलब्ध करायी जायेगी।

8–कच्चा आढतिया की नियुक्ति/पंजीकरण प्रक्रिया :–

शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 के अर्न्तगत धान का क्रय नामित क्रय ऐजेन्सियों के अतिरिक्त कच्चा आढ़तिया (कमीशन एजेन्ट) के माध्यम से भी सुनिश्चित कराया जायेगा, जो कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सब एजेन्ट के रूप में कार्य करेंगे तथा धान क्रय से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं अभिलेखों सहित खाद्य विभाग को अनिवार्यतः उपलब्ध कराने हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

राज्य हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के प्राथमिक परिवारों, अन्त्योदय अन्न योजना एवं Tide Over Allocation के अन्तर्गत चावल की 12 माहों की आवश्यकता हेतु आवंटित मात्रा के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 हेतु राज्य के लिए निर्धारित धान/चावल क्रय के 9.00/6.03 लाख मी0टन लक्ष्य की पूर्ति के लिये कच्चा आढ़तिया (कमीशन एजेन्ट) के माध्यम से भी मूल्य समर्थन योजना के अर्न्तगत धान क्रय किये जाने हेतु 6.00 लाख मी0टन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा नामित क्रय संस्थाओं द्वारा कृषकों से मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत निर्धारित 3.00 लाख मी0टन धान क्रय के लक्ष्य की पूर्ति हो जाने की स्थिति में कच्चा आढ़तिया के माध्यम से धान क्रय के आवटित लक्ष्य में अपेक्षानुसार परिवर्तन का निर्णय आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा धान खरीद की सम्भागवार समीक्षा एवं सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों की संस्तुति उपरान्त लिया जायेगा। इसी प्रकार क्रय संस्थाओं द्वारा आवंटित लक्ष्य की पूर्ति न किये जाने की स्थिति में भी क्रय संस्थाओं हेतु आवंटित लक्ष्य को कृषकों की सुविधा हेतु कच्चा आढतिया के माध्यम से क्रय करने पर विचार किया जा सकेगा।

1. खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत मुख्य मण्डी स्थलों/उप मण्डी स्थलों में उन्हीं कच्चा आढ़तियों के माध्यम से धान का क्रय किया जायेगा, जिन्हें मण्डी समिति द्वारा निर्धारित स्थल पर खाद्यान्न का व्यापार करने हेतु कमीशन एजेन्ट का वैध लाईसेंस प्रदत्त किया गया हो व जो जी0एस0टी0 में पंजीकृत हों। ऐसे कमीशन एजेन्ट जो पूर्व वर्षों में विभाग द्वारा काली सूची में अंकित किये गये हों अथवा किसी भी अनियमितता अथवा क्रय नीति में प्राविधानित व्यवस्था में उल्लंघन के दोषी पाये गये हों या जिनके विरूद्ध गत वर्ष की कोई विभागीय कार्यवाही/देयता प्रचलन में हो, ऐसे कमीशन एजेन्टों को धान क्रय हेतु कदापि नियुक्त नहीं किया जायेगा।

2. मण्डी समिति द्वारा लाईसेन्स प्रदत्त कच्चा आढ़तिया (कमीशन एजेन्ट) को सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक कार्यालय में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। सम्भीय खाद्य नियंत्रक द्वारा कच्चा आढतियों को पंजीकरण हेतु अपने अपने सम्भागों में विज्ञापनों के माध्यम से ऑफर प्राप्त किये जायेंगे तथा मानकों के अनुरूप ही चयन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

इस हेतु कच्चा आढतिया के उपरोक्त वर्णित मानकों के अतिरिक्त वित्तीय क्षमता एवं साख का भी विशेष ध्यान रखा जायेगा। कच्चा आढतियों के पंजीकृत होने

उपरान्त ही उन्हें सम्बन्धित केन्द्र के अधीन मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान खरीद हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सब–ऐजेन्ट के रूप में अधिकृत किया जायेगा। इस हेतु कच्चा आढ़तियों को सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा केन्द्रवार एक कोड नम्बर भी आवंटित किया जायेगा तथा क्रय नीति में प्राविधानित व्यवस्थानुसार शर्तों का निर्धारण कर एक अनुबन्ध भी अनिवार्यतः सम्पादित किया जायेगा जिसमें नीति अनुसार कच्चा आढतिया द्वारा किये जाने वाले समस्त सम्पादित कार्यों एवं दायित्वों का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो। कच्चा आढतिया की वित्तीय स्थिति एवं साख के आधार पर ही सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा उसे धान क्रय हेतु लक्ष्य का आवंटन किया जायेगा। यदि किसी कच्चा आढतिया को क्रय नीति में प्राविधानित नियमों/शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उसे विभाग से ब्लैकलिस्ट (काली सूची) किया जायेगा।

पंजीकरण के समय प्रत्येक कच्चा आढतिया से धनराशि रू0 10.00 लाख (दस लाख मात्र) की एफ0डी0आर0 जो कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत की गई हो तथा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के नामे बंधक हो, प्रतिभूति के रूप में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी।

3. कच्चा आढ़तिया के माध्यम से धान का क्रय भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 हेतु निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुरूप खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की विपणन शाखा के माध्यम से किया जायेगा। कच्चा आढ़तिया क्रय नीति में प्राविधानित व्यवस्थानुसार धान का क्रय करने पर को भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 के लिए धान कामन/धान ग्रेड–ए हेतु घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक प्रतिशत (1%) कमीशन अनुमन्य होगा।

9. कच्चा आढ़तिया हेतु लक्ष्य का निर्धारण :–

9(1)–सम्भागीय खाद्य नियन्त्रकों द्वारा अपने–अपने सम्भागों हेतु निर्धारित लक्ष्य के आधार पर पंजीकृत कच्चा आढतियों के लिए सम्बन्धित केन्द्र पर उनकी संख्या के आधार पर केन्द्रवार/कच्चा आढतियावार धान क्रय का लक्ष्य भी निर्धारित किया जायेगा। कच्चा आढतिया द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक धान की क्रय मात्रा सम्बन्धित कच्चा आढतिया की स्वयं की निजी खरीद मानी जायेगी। लक्ष्य से अधिक खरीद को विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। इस हेतु कुमायूँ सम्भाग के लिए 5.50 लाख मी0टन तथा गढ़वाल सम्भाग के लिए 0.50 लाख मी0टन धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

9(2)–सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढवाल/कुमायूँ अपने–अपने सम्भागों हेतु निर्धारित धान क्रय के लक्ष्य के अनुसार पंजीकृत कच्चा आढतियों की संख्या के आधार पर ई–खरीद पोर्टल पर ऑनलाईन धान का आवंटन करेंगे। समीक्षा उपरान्त जिन कच्चा आढतियों द्वारा लक्ष्य के अनुरूप धान की खरीद नहीं की जायेगी उन कच्चा आढतियों कोआवंटित धान की मात्रा अन्य आढ़तियों को आवंटित करने पर विचार किया जा सकेगा। सम्भाग के कुल लक्ष्य से अधिक धान का आवंटन कदापि नहीं किया जायेगा।

9(3) कच्चा आढ़ती के विरूद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उन्हें आवंटित धान की मात्रा को किसी अन्य क्रय संस्था को आवंटित कर दी जायेगी।

10– धान खरीद की प्रक्रिया :–

10(1) कच्चा आढतिया द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 के अन्तर्गत ई–खरीद पोर्टल पर पंजीकृत/वेरिफाईड कृषकों द्वारा मण्डी परिषद द्वारा घोषित प्रधान मण्डी स्थल (प्रांगण) एवं उप मण्डी स्थल (प्रांगण) पर विक्रय हेतु लाये गये धान की खरीद की जायेगी। इस हेतु मण्डी परिषद द्वारा मण्डी स्थलों का निर्धारण कर अधिसूचित किया जायेगा।

10(2) कच्चा आढ़तिया द्वारा क्रय किये गये धान का संचरण/कुटाई सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल/कुमायूँ सम्भाग द्वारा निर्दिष्ट चावल मिलों से कराने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–

10(3)–सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा कच्चा आढतियां के माध्यम से क्रय धान कुटाई अपने कार्यालय में दिनांक 30.09.2022 तक पंजीकृत ऐसे चावल मिलों से उनके द्वारा जमा करायी गयी प्रतिभूति की धनराशि, सत्यापित की गयी कुटाई क्षमता एवं साख के आधार पर मिलों की अभिरक्षा में दी जायेगी।

10(4)–कच्चा आढतियों के आधार पर सम्बन्धित क्रय केन्द्र के वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक द्वारा कच्चा आढतिया के माध्यम से क्रय धान भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों का होने पर तथा गुणवत्ता/वजन से संतुष्ट होने के उपरान्त ही सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट चावल मिल की अभिरक्षा में चावल मिलर को मौके पर ही हस्तगत करा दिया जायेगा तथा इस हेतु चावल मिलर से एक अभिरक्षा प्रमाण पत्र एवं ऑन लाईन धान मूवमेंट चालान मौके पर प्राप्त किया जायेगा जिसमें समस्त विवरण अनिवार्यतः अंकित किये जायेंगे।

10(5)–किसी केन्द्र पर कच्चा आढतिया द्वारा कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत क्रय किये गये धान की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप न पाये जाने अथवा चयनित चावल मिलर द्वारा इसे कुटाई हेतु अस्वीकार किये जाने की स्थिति में गुणवत्ता सम्बन्धी विवाद होने पर धान की गुणवत्ता का विश्लेषण सम्बन्धित क्रय केन्द्र के वरिष्ठ विपणन अधिकारी/मण्डी निरीक्षक तथा 02 स्वतंत्र किसान प्रतिनिधियों व सम्बन्धित कच्चा आढतिया के समक्ष धान की गुणवत्ता का मौके पर विश्लेषण किया जायेगा। यदि कृषक इससे असन्तुष्ट हो तो क्रय धान का विश्लेषण मण्डी परिषद द्वारा स्थापित ई–नाम लैब से कराया जायेगा। यदि उक्त विश्लेषण प्रक्रिया उपरान्त क्रय धान की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पायी जाती है तो सम्बन्धित कच्चा आढ़तिया के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी किन्तु यदि संयुक्त विश्लेषण में क्रय धान की गुणवत्ता निर्धारित मानको के अनुरूप पायी जाती है तो सम्बन्धित मिलर क्रय धान की कुटाई करने हेतु बाध्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित मिलर के विरूद्ध भी नियमसंगत कार्यवाही की जायेगी।

10(6)–निर्दिष्ट चावल मिलर द्वारा क्रय केन्द्र पर कच्चा आढतिया के माध्यम से क्रय धान की मात्रा वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक से धान की गुणवत्ता, वजन तथा बोरों की गुणवत्ता से पूर्णतः संतुष्ट होने उपरान्त ही अपनी अभिरक्षा में ई–खरीद पोर्टल पर ऑन लाईन चालान के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। इस सम्बन्ध में अभिरक्षा प्रमाण पत्र पर पर भी स्पष्ट अंकन करते हुए चावल मिलर द्वारा धान की प्राप्ति वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक को मौके पर ही दे दी जायेगी एवं चावल मिलर द्वारा ऑन लाईन धान की प्राप्ति किया जाना अनिवार्य होगा।

10(7)–चावल मिलर द्वारा क्रय केन्द्र पर धान/बोरों/वजन की संतुष्टि पश्चात् प्राप्त धान की मात्रा को चावल मिल तक ऑन लाईन चालान के माध्यम से स्वयं परिवहन कराना होगा। मिलर द्वारा अपनी अभिरक्षा में धान प्राप्त करने के उपरान्त उसे मिल तक परिवहन कराने तथा मिल में पहुंचने के पश्चात उसे निस्तारण तक धान के वजन, गुणवत्ता एवं सुरक्षा का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित चावल मिलर का होगा।

10(8)–जिन चावल मिलों द्वारा गत खरीफ–खरीद सत्र 2021–22 के अन्तर्गत किसी भी नामित क्रय संस्था/कच्चा आढतिया के माध्यम से प्राप्त धान का कस्टम मिल्ड चावल तथा विभागीय बोरे विभाग को वापस न किये गये हों ऐसे चावल मिलर्स को चालू सत्र में पंजीकृत नहीं किया जायेगा।

10(9)–धान की कुटाई उपरान्त कस्टम मिल्ड चावल की डिलीवरी चावल मिलर द्वारा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्धारित स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो पर

सुनिश्चित की जायेगी। क्रय धान की कुटाई हेतु चावल मिलों के चयन के समय सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा सम्बन्धित केन्द्र के वरिष्ठ विपणन अधिकारी/उपसम्भागीय विपणन अधिकारी की सुस्पष्ट संस्तुति भी प्राप्त की जायेगी।

10(10)–किराये/ठेके पर चलाई जा रही चावल मिलों को धान कुटाई हेतु नहीं दिया जायेगा। तथा एक ही परिसर/चौहद्दी में स्थापित/कार्यरत एक से अधिक चावल मिलों में से एक ही चावल मिल को पंजीकृत कर कस्टम हलिंग का कार्य कराया जायेगा दूसरी मिलें अपना निजी व्यापार करने हेतु स्वतंत्र होंगी।

10(11)–सम्भाग में नव निर्मित चावल मिलों का सत्यापन सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा एक कमेटी बनाकर एक केन्द्र के प्रभारी से दूसरे केन्द्र का क्रॉस सत्यापन शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक कराया जायेगा। कमेटी द्वारा चावल मिलों की कुटाई क्षमता मिलों हेतु निर्धारित अर्हतांए पूर्ण करने वाली मिलों को ही धान कुटाई हेतु चयनित करने की संस्तुति की जायेगी। भविष्य में यदि किसी मिल के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती है तो सत्यापनकर्ता/संस्तुतिकर्ता कार्मिकों/अधिकारियों के विरूद्ध जांचोपरान्त दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

10(12)–भारत सरकार द्वारा चावल मिलों के आधुनिकीकरण किये जाने हेतु निरन्तर दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। अतः चावल मिलों के सत्यापन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि चावल मिलों में अत्याधुनिक मशीनरी/उपकरण लगे हो।

10(13)–भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 के अन्तर्गत क्रय धान से उद्धग्रहित की जाने वाली समस्त कस्टम मिल्ड चावल की मात्रा को अनिवार्यतः फोर्टिफाइड चावल के रूप में प्राप्त किया जाना है। अतएव समस्त चावल मिलों में फोर्टिफाइड चावल के निर्माण हेतु अपेक्षित ब्लेंडिंग युनिट की स्थापना की जानी अनिवार्य है। अतः बिना ब्लेंडिंग युनिट स्थापित चावल मिलों का पंजीकरण नहीं किया जायेगा।

10(14)–सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा अपने सम्भागों में कच्चा आढ़तिया द्वारा क्रय धान की कुटाई हेतु कच्चा आढतिया को पंजीकृत चावल मिलों से संबद्ध किया जायेगा तथा कच्चा आढ़तिया द्वारा उसी पंजीकृत मिल को धान कुटाई हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। क्रय केन्द्रों पर कच्चा आढ़तियों की संख्या पंजीकृत चावल मिलों से अधिक होने की स्थिति में अन्य कच्चा आढ़तिया द्वारा क्रय धान की मात्रा उस केन्द्र पर पंजीकृत अन्य चावल मिलों को कुटाई हेतु आवंटित करने हेतु सम्भागीय खाद्य नियन्त्रकों को अधिकृत किया जाता है।

11– <u>क्रय केन्द्रों की स्थापना एवं उनके संचालन के मानक :–</u>

11(1) कच्चा आढतिया द्वारा मण्डी स्थल पर संचालित क्रय केन्द्रों पर 02 इलेक्ट्रानिक कांटा, 01 नमी मापक यंत्र, विनोईंग फैन एवं पॉवर डेस्टर व डबल जाली का छलना आवश्यक रूप से रखा जायेगा। उक्त व्यवस्था मण्डी परिषद द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी।

11(2)–मण्डी परिषद द्वारा मण्डी के गेट पर धान क्रय के व्यापक प्रचार–प्रसार के निमित्त बड़े–बड़े फ्लैक्सी बैनर लगवाये जायेंगे। मण्डी परिसर में क्रय केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रवेश द्वार के निकट के चबूतरों को कच्चा आढतिया हेतु मण्डी समिति द्वारा आवंटित किया जायेगा। क्रय केन्द्रों की लोकेशन तथा क्रय केन्द्रों तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थल व अन्य उपयुक्त स्थानों पर बैनर, पोस्टर, वॉल पेन्टिंग आदि के माध्यम से प्रदर्शक/मार्गदर्शक चिन्ह प्रदर्शित किये जायेंगे। कृषकों द्वारा विक्रय हेतु लाये गये धान को बिक्री के पूर्व मण्डी यार्ड में व्यवस्थित रखवाने तथा गीले धान को मण्डी यार्ड में सुखाने हेतु मण्डी समितियों द्वारा समुचित व्यवस्था की जायेगी।

कृषकों की सुविधा की दृष्टि से धान क्रय केन्द्र पर निम्नलिखित सूचनाएं बैनर के माध्यम से प्रदर्शित की जायेगीः—

(01) कच्चा आढतिया/केन्द्र का नाम।

(02) सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन अधिकारी का नाम व मोबाइल नम्बर।

(03) उप सम्भागीय विपणन अधिकारी का नाम व मोबाइल नम्बर।

(04) धान की किस्म एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य।

(05) उप जिलाधिकारी का नाम व मोबाइल नम्बर।

(06) गुणवत्ता के मानक।

(07) क्रय केन्द्र खुलने का समय प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक।

11(3)— कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी व प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाने व मूल्य समर्थन योजना में गुणात्मक व पारदर्शी ढंग से धान क्रय के लिये आवश्यक है कि किसानों द्वारा मण्डियों में लाये गये धान की बिक्री हेतु नीलामी द्वारा खुली बोली मण्डी सचिव, क्रय संस्थाओं के केन्द्र प्रभारी तथा उपस्थित व्यापारियों के समक्ष लगायी जायेगी ताकि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके। नीलामी प्रक्रिया की यथासम्भव वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जायेगी। धान की नीलामी कराने पर यदि नीलामी में क्रय हेतु उपयुक्त गुणवत्ता (एफ0ए0क्यू0) के धान की बोली न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम आती है, तो कच्चा आढतिया द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद लिया जायेगा।

11(4)— सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में पंजीकृत एवं अधिकृत कच्चा आढतिया द्वारा संचालित धान क्रय केन्द्रों को निर्धारित क्रय अवधि से पूर्व बन्द किये जाने की आवश्यकता पाये जाने पर औचित्य का परीक्षण जिलाधिकारी/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक एवं जिला खरीद अधिकारी द्वारा समीक्षा उपरान्त किया जा सकेगा।

11(5)—कृषक का धान गीला अथवा विजातीय तत्व निर्धारित सीमा से अधिक होने पर कच्चा आढतिया द्वारा इसे अस्वीकृत न किया जाये, बल्कि कृषक को उसे क्रय केन्द्र पर ही सुखाने व साफ करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाय, ताकि मानक के अनुरूप आने पर कृषक का उत्पाद क्रय किया जा सके।

11(6)—अपरिहार्य परिस्थिति में कृषक द्वारा लाये गये धान को अस्वीकृत किये जाने पर रिजेक्शन पंजिका में धान विक्रेता कृषक का नाम व उसका पूरा पता, मोबाइल नम्बर, धान की मात्रा तथा अस्वीकृत करने का पर्याप्त एवं स्पष्ट कारण अंकित किया जायेगा तथा इसकी अनिवार्य रूप से ऑनलाइन प्रविष्टि भी की जायेगी, जिसमें धान को अस्वीकृत करने के कारण का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। अस्वीकृत किये गये धान का नमूना केन्द्र पर रखा जायेगा।

11(7)—मांग किये जाने पर रिजेक्शन पंजिका सम्बन्धित किसानों, मा0 जन प्रतिनिधियों एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को भी दिखायी जायेगी।

12. <u>जिला खरीद अधिकारी का नामांकन</u> :—

जिलाधिकारियों द्वारा अपने जनपद की परिस्थितियों एवं क्षेत्र में धान के आवक की स्थिति का आंकलन कराते हुए कच्चा आढतिया के माध्यम से संचालित किये जाने वाले केन्द्रों पर धान खरीद के कार्य को प्रभावी रूप से सम्पादित करने हेतु अपने जनपद में एक जिला खरीद अधिकारी भी नामित किया जायेगा जो कि अपर जिलाधिकारी के समकक्ष स्तर का होगा तथा जो क्रय संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने तथा धान क्रय के कार्य संचालन के प्रति उत्तरदायी होगा ।

खरीफ—खरीद सत्र 2022—23 के अन्तर्गत नियमित पर्यवेक्षण हेतु नामित जिला खरीद अधिकारी अपनी अध्यक्षता में खाद्य विभाग के उप सम्भागीय विपणन

अधिकारी/सम्बन्धित केन्द्र के वरिष्ठ विपणन अधिकारियों की बैठक कराकर स्थिति की समीक्षा करेंगें।

13—<u>क्रय केन्द्रों पर कॉटों तथा बॉटों का सत्यापन</u> :—

13(1)— कच्चा आढतिया द्वारा धान क्रय हेतु सही बांट तथा माप का प्रयोग तथा सही तौलाई किये जाने के उद्देश्य से विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कांटे—बांट का सत्यापन तथा समय—समय पर नियमानुसार उनका निरीक्षण किया जायेगा तथा इलेक्ट्रॉनिक कांटे स्थापित होते ही विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा तत्काल इनका मुद्रांकन पूर्ण किया जायेगा।

14— <u>धान के संग्रह हेतु क्रेट्स/त्रिपाल एवं भण्डारण की व्यवस्था</u> :—

क्रय किये गये तथा विक्रय के लिये लाये गये धान को असामयिक वर्षा से बचाने के लिये प्रत्येक केन्द्र पर क्रेटस तथा त्रिपाल की व्यवस्था समस्त कच्चा आढतिया द्वारा स्वयं की जायेगी। यदि क्रेटसं उपलब्ध न हो तो नीचे पुवाल डालकर उसके ऊपर लकडी की बल्लियाँ बिछाकर धान के बोरे संग्रहीत किये जायें, ताकि धान को जमीन की सीलन आदि से कोई क्षति न हो। क्रय धान को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने हेतु कच्चा आढतिया स्वयं जिम्मेदार होंगे।

15—<u>कच्चा आढ़तियां हेतु बोरे की व्यवस्था</u> :—

15(1) कच्चा आढ़तिया को धान क्रय हेतु उतनी मात्रा में नये एस0बी0टी0 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे जितनी मात्रा में क्रय धान से निर्मित कस्टम मिल्ड चावल विभाग को केन्द्रीय/स्टेटपूल में प्राप्त होगा। अवशेष धान की खरीद कच्चा आढ़तियों द्वारा स्वयं के Once Used बोरों में की जायेगी। कच्चा आढ़तिया द्वारा Once Used बोरा प्रयोग करने की स्थिति में भारत सरकार के पत्र संख्या—15—14/ 2018—PY-III दिनांक13.12.2018 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार तथा शर्तें पूर्ण करने पर ही खरीफ—खरीद सत्र 2022—23 हेतु निर्धारित दरों पर Uses charges का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु कच्चा आढ़तियों को प्रयोग किये गये एक बार प्रयोग किये गये बोरों का विवरण भी संरक्षित रखना होगा।

15(2)—वर्तमान में गत रबी/खरीफ—खरीद सत्रों के नये एस0बी0टी0/पी0पी0 बोरे सम्भागों में संग्रहित हैं अतः सर्वप्रथम उक्त गत वर्षों के अवशेष नये एस0बी0टी0/पी0पी0 बोरों का उपयोग धान/कस्टम मिल्ड चावल हेतु किया जायेगा। तदोपरान्त ही खरीफ—खरीद सत्र 2022—23 के नये एस0बी0टी0 प्रयोग में लाये जायेंगे। यदि किन्हीं केन्द्रों पर गत वर्षों के अवशेष नये एस0बी0टी0/पी0पी0 बोरे उपलब्ध न हो तो सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक के आदेशों पर क्रय संस्थाओं द्वारा खरीफ—खरीद सत्र 2022—23 के नये एस0बी0टी0 प्रयोग में लाये जा सकेंगे।

15(3)—विभाग के पास उपलब्ध नये एस0बी0टी0 यदि पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाते हैं तथा कस्टम मिल्ड चावल की प्रतिपूर्ति हेतु बोरों की कमी होती है तो सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी की संस्तुति पर विषम अपरिहार्य परिस्थितियों में ही कच्चा आढ़तिया/चावल मिलर्स से निर्धारित बी0आई0एस0 मानकों के नये एस0बी0टी0 की व्यवस्था सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त सुनिश्चित की जायेगी जिसकी प्रतिपूर्ति सम्बन्धित को भारत सरकार द्वारा खरीफ—खरीद सत्र 2022—23 हेतु अनन्तिम

आनुषांगिक दरों में स्वीकृत बोरा दरों अथवा फर्म द्वारा क्रय दरों पर जो भी कम होंगी, के अनुसार की जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित कच्चा आढ़तिया/चावल मिलर्स को बोरों के क्रय सम्बन्धी समस्त वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। राज्य हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष बोरों की पूर्ति हेतु GeM Portal के माध्यम से HDPE/PP बोरों का क्रय करने हेतु आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड अधिकृत होंगे।

15(4) क्रय केन्द्रों पर बोरों की तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत यदि कच्चा आढतिया/चावल मिलर्स से नये एस0बी0टी0 लिये जाने का निर्णय लिया जाता है तो इस हेतु धान/कस्टम मिल्ड चावल में प्रयुक्त प्रत्येक नये एस0बी0टी0 पर "उत्तराखण्ड सरकार" एवं खरीफ–विपणन सत्र 2022–23, क्रय केन्द्र का नाम अंकित किया जाना अनिवार्य होगा जो कि स्पष्ट व पठनीय हो।

15(5) वरिष्ठ विपणन अधिकारियों/विपणन निरीक्षकों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि कच्चा आढ़तिया द्वारा धान क्रय के लिए विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अथवा स्वयं के नये/Once Used बोरे ही प्रयुक्त किये जाँय। अधोमानक (Sub Standard) बोरे प्रयोग में कदापि न लाये जायें।

इसी प्रकार यदि कस्टम मिल्ड चावल की डिलीवरी स्टेट पूल डिपो अथवा भारतीय खाद्य निगम डिपो पर करने पर प्रयुक्त नये बोरे अधोमानक (Sub Standard) पाये जाते हैं तो इसके लिये सम्बन्धित चावल मिलर पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। प्राप्तकर्ता स्टेटपूल डिपो प्रभारियों द्वारा किसी भी दशा में अधोमानक बोरे प्राप्त नहीं किये जायेंगे तथा डिपो पर अधोमानक बोरों में प्राप्त कस्टम मिल्ड चावल को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। यदि भविष्य में निरीक्षण के दौरान संग्रहण डिपोज पर अधोमानक बोरों में कस्टम मिल्ड चावल पाया जाता है तो प्रेषणकर्ता/प्राप्तकर्ता कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक/विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

कच्चा आढतिया के माध्यम से नये एस0बी0टी0 में क्रय किये गये धान से निर्मित सी0एम0आर0 का सम्प्रदान स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो में करने उपरान्त चावल मिलर्स के पास यदि अवशेष बोरे रहते हैं तो चावल मिलर्स द्वारा बचे Once Used एस0बी0टी0 विभाग को वापिस कर दिये जायेंगे ताकि आगामी खरीद सत्रों में भारत सरकार की अनुमति उपरान्त ही इन्हें प्रयोग में लाया जा सके।

16–<u>मानक नमूने का प्रदर्शन</u> :–

खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 हेतु धान का किस्मवार नमूना सील करके प्रत्येक कच्चा आढतिया द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा जिसको निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के आधार पर तैयार किया जायेगा और उसे कृषकों तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को निरीक्षण हेतु अवश्य प्रदर्शित कराया जायेगा तथा कृषकों को इसी आधार पर अपना धान विक्रय हेतु लाने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

17– <u>कच्चा आढ़तियों द्वारा कृषकों को धान के मूल्य का भुगतान</u> :–

17(1)–न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत ई–खरीद पोर्टल पर पंजीकृत/सत्यापित कृषकों से क्रय किये गये धान के मूल्य का भुगतान कच्चा आढ़तिया द्वारा सम्बन्धित कृषकों को 72

घंटे के अन्दर ई–खरीद पोर्टल के माध्यम से बैंक स्क्रॉल जनरेट कर आर0टी0जी0एस0 / एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जायेगा।

17(2)–कच्चा आढ़तिया द्वारा कृषकों को किये गये भुगतान एवं अन्य स्वीकृत मदों की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित केन्द्र के वरिष्ठ विपणन अधिकारी / विपणन निरीक्षक द्वारा उपलब्ध कराये गये सत्यापित विपत्रों के आधार पर सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी द्वारा परीक्षणोंपरान्त पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी।

17(3)–क्रय किया गया धान कुटाई हेतु चयनित चावल मिल की अभिरक्षा में देने उपरान्त कच्चा आढ़तिया द्वारा भुगतान प्राप्त करने के लिये वरिष्ठ विपणन अधिकारी / विपणन निरीक्षक को 9–आर (कच्चा आढ़तिया के बिल) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कृषकों से धान खरीद की पुष्टि हेतु 6–आर की स्वप्रमाणित छायाप्रति (जिसमें सम्पूर्ण प्रविष्टियों का अंकन अनिवार्य रूप से हो) भुगतान किये गये मण्डी शुल्क का प्रपत्र 7–आर, कृषकों को समयान्तर्गत भुगतान किये गये विवरण (बैंक अकाउंट स्टेटमैंट, बैंक से प्राप्त NEFT/RTGS की ट्रांजेक्शन आई0डी0 (UTR No) को ई–खरीद पोर्टल में अंकित किया जायेगा एवं उसकी छायाप्रति संलग्न की जायेगी तथा क्रय धान से निर्मित सी0एम0आर0 के ऑल लाईन प्रेषण एवं प्राप्तकर्ता स्टेटपूल डिपो प्रभारी की प्राप्ति सम्बन्धी ऑन लाईन मूवमेंट चालान की प्रति भी संलग्न की जानी अनिवार्य होगी।

सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन अधिकारी / विपणन निरीक्षक द्वारा प्राप्त विपत्रों का परीक्षण / पुष्टि करने तथा सत्यापन करने उपरान्त अपनी संस्तुति सहित इन्हे भुगतान हेतु सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी को कार्यालय में प्रेषित किया जायेगा तथा केन्द्र पर मिलवार / कच्चा आढ़तियावार पंजिका तैयार की जायेगी।

सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी द्वारा केन्द्रों से भुगतान विपत्र प्राप्त होने पर कच्चा आढ़तिया के पक्ष में परीक्षणोपरान्त 15 दिन में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से आयकर अधिनियम–1956 के अधीन सुसंगत नियमों के अधीन आयकर की कटौती कर भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

17(4)–कच्चा आढ़तिया द्वारा धान क्रय हेतु अनुमन्य हैण्डलिंग कार्य के व्यय की प्रतिपूर्ति उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये विपत्रों के आधार पर केन्द्र प्रभारी की संस्तुति पर सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य) द्वारा पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से की जायेगी। इस निमित्त कच्चा आढ़तिया को हैण्डलिंग चार्जेज (मण्डी लेबर चार्जेज) का मदवार भुगतान शासन द्वारा अधिसूचित मण्डी लेबर चार्जेज अथवा भारत सरकार द्वारा खरीफ–विपणन सत्र 2022–23 हेतु जारी अनन्तिम आनुषांगिक दरों (Provisional Cost Sheet) में अनुमन्य मण्डी लेबर चार्जेज जो भी कम होगा, अनुमन्य होगा। इस हेतु कच्चा आढतिया द्वारा निर्धारित मदवार व्यय का विवरण भी साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

17(5)–चावल मिलर्स को भारत सरकार द्वारा कॉस्टिंग शीट में स्वीकृत 01 प्रतिशत सूखन (Driage) का भुगतान भी नियमानुसार अनुमन्य होगा।

17(6)–खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 में धान क्रय–केन्द्र से चयनित चावल मिल तक धान का परिवहन कराने तथा धान की कुटाई उपरान्त निर्मित कस्टम मिल्ड चावल को स्टेटपूल / भारतीय खाद्य निगम डिपो तक परिवहन कराने हेतु जिस चावल मिलर को धान कुटाई हेतु अधिकृत किया जायेगा उसी चावल मिलर द्वारा ही केन्द्र पर क्रय

धान/उदग्रहित कस्टम मिल्ड चावल का संचरण सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो पर सुनिश्चित कराया जायेगा।

17(7)–क्रय केन्द्रों से चावल मिल परिसर तक धान के परिवहन तथा चावल मिलों से स्टेटपूल /भारतीय खाद्य निगम डिपो तक कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान सम्बन्धित चावल मिलर द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। इस हेतु चावल मिलर को परिवहन दरों का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित SOR के आधार पर स्वीकृत स्लैबवार परिवहन दरों अथवा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनन्तिम आनुषांगिक दरों (Provisional Cost Sheet) में अनुमन्य परिवहन दरें जो भी कम होंगी, अनुमन्य होगी।

17(8)–कच्चा आढतिया को देय व्ययों का भुगतान पृथक–पृथक निर्धारित दरों पर नियमानुसार टीडीएस की कटौती करने उपरान्त सुनिश्चित किया जायेगा तथा कटौती की गई धनराशि को सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य) द्वारा सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराकर इसकी मासिक सूचना वित्त नियंत्रक को उपलब्ध करायी जायेगी।

18– <u>केन्द्र पर रखे जाने वाले अभिलेख</u> :–

वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक द्वारा पृथक से कच्चा आढ़तिया के माध्यम से क्रय धान हेतु निम्नलिखित अभिलेख अनिवार्य रूप से रखे जायेंगे :–

(01) कच्चा आढ़तिया पंजिका। (02) धान की क्वालिटी का विश्लेषण रजिस्टर।
(03) मूवमेन्ट चालान। (04) स्टाक रजिस्टर।
(05) बोरा रजिस्टर। (06) बिल बुक।
(07) निरीक्षण पंजिका। (08) रिजैक्सन पंजिका।
(09) मिलवार धान प्रेषण एवम् चावल प्राप्ति पंजिका।
(10) प्रतिदिन **कृषकों को** किये गये भुगतान का विवरण।
(11) अभिरक्षा प्रमाण पत्र की पत्रावली।
(12) सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा जारी मूवमेंट प्लान पंजिका।

19– <u>चावल मिलर द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख</u> :–

चावल मिलर को कुटाई हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कच्चा आढ़तिया से खरीदे गये धान के सम्बन्ध में निम्नलिखित अभिलेख पृथक से अनिवार्य रूप से रखते हुए इन अभिलेखों का केन्द्र प्रभारी से सत्यापन किया जाना अनिवार्य होगा :–

(01) धान प्राप्ति की स्टाक पंजिका (क्रय संस्थावार पृथक–पृथक) ।
(02) धान कुटाई पंजिका (क्रय संस्थावार पृथक–पृथक)।
(03) बोरा पंजिका।
(04)डिपोवार सी0एम0आर0 सम्प्रदान पंजिका(क्रय संस्थावार पृथक–पृथक) ।

20– <u>कच्चा आढतिया द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख</u> :–

कच्चा आढतिया द्वारा निम्नलिखित अभिलेख पृथक से अनिवार्य रूप से रखे जायेंगे:–

(01) धान क्रय की स्टाक पंजिका।
(02) कृषकों से क्रय किये गये धान की 6 आर की पत्रावली।
(03) मण्डी शुल्क भुगतान की 7 आर की पत्रावली।
(04) केन्द्र प्रभारी को विक्रय धान की 9 आर की पत्रावली।

(05) मण्डी की प्रवेश पर्ची (यदि कृषक से धान मण्डी परिसर में क्रय किया गया हो)।
(06) पंजीकृत कृषकों का सम्पूर्ण विवरण आवश्यक अभिलेखों सहित।
(07) प्राप्त/उपलब्ध बोरों की पंजिका (New/Once used/Serviceable)

21— <u>धान की बोरों में भराई सिलाई एवं स्टेन्सिलिगं</u> :—

21(1)—कच्चा आढ़तिया मण्डी परिषद द्वारा निर्धारित राज्य की मण्डी प्रांगणों में कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किये गये धान को प्रति एस0बी0टी0 40 कि0ग्रा0 वजन में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये नये अथवा Once Used बोरों में 12—12 टाँकों से मजबूत सुतली से सिलाई कर प्रत्येक बोरे पर खरीद वर्ष, भराई की तिथि, कच्चा आढ़तिया का कोड, जो कि सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा केन्द्रवार आवंटित किया जायेगा, धान का ग्रेड़ तथा भरते समय धान का वजन चटक रंग से स्टेंसिलिंग कराया जायेगा, जिससे पढ़ने में सुविधा हो एवं यह भी स्पष्ट हो सके कि उक्त धान किस कच्चा आढ़तिया द्वारा किस केन्द्र पर क्रय किया गया है। इसी प्रकार चावल मिलर द्वारा अपनी मिल में कुटाई हेतु नये एस0बी0टी0 में प्राप्त धान की कुटाई करने के उपरान्त रिक्त हुये नये बोरों को सीधा करके कस्टम मिल्ड चावल भरा जायेगा तथा उसमें निर्धारित मिल का कोड व मार्का अंकित किया जायेगा। कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान किये जाने के उपरान्त चावल मिलर के पास बचने वाले अवशेष Once Used बोरों की सूचना मिलर द्वारा तत्काल विभाग को दी जायेगी तथा विभाग द्वारा तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। तत्पश्चात् ही मिलर को धान की कुटाई के मूल्य तथा अन्य मदों का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। केन्द्र प्रभारी/मिल पर तैनात वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक इसका पृथक—पृथक लेखा जोखा रखेंगे ताकि बोरों की स्थिति स्पष्ट हो सके।

21(2)—कच्चा आढ़तिया द्वारा उपरोक्तानुसार सिलाई एवं स्टेसिंलिगं न करने पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कच्चा आढ़तिया के विपत्रों से यथा स्थिति निम्न प्रकार कटौतियॉ की जायेगी :—

(अ) खराब सिलाई 12 टाँको से कम तथा खराब सुतली लगने पर 1.00 पैसे प्रति एस0बी0टी0

(ब) स्टेंन्सिल न करने या खराब करने पर रू0 2.00 प्रति एस0बी0टी0।

22— <u>स्टेंसिलिंग/ब्रान्डिंग एवं कलर कोडिंग</u> :—

भारत सरकार के पत्र संख्या—15—35/2020.PY-III(E-373783) दिनांक 18.04.2022 द्वारा खरीफ—खरीद सत्र 2022—23 में प्रयुक्त होने वाले नये एस0बी0टी0 (50 कि0ग्रा0) पर निम्नानुसार कलर कोडिंग/स्टैन्सलिंग निर्धारित की गयी हैं :—

1-Stencil or Branding as per indenters' requirements shall be in "/BLUE" colour.

2-Marking or Stitching on the mouth of the bag after filling the grain will be done by the FCI/State Agencies in "RED" colour.

3- For indentification marking or marketing season, there will be color coded strip/s. on every jute bag. Width of the each strip will be of 4 threads. Each strip will be running along the length of the Bag and shall be in "RED" colour.

23–<u>प्रचार प्रसार</u> :–

राज्य सरकार की मंशा कृषकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का अथवा इससे अधिक मूल्य दिलाने की है। इसके लिये व्यापक प्रचार–प्रसार सम्बन्धित जिलाधिकारी तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, मण्डी समिति, क्रय संस्थाओं के माध्यम से आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्रों तथा प्रचार–प्रसार माध्यमों से निःशुल्क व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जायेगा, ताकि कृषकों को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही व्यवस्था की सही एवं पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके तथा उनका कोई उत्पीड़न न कर सके।

24– <u>धान की आमद व बाजार भाव की समीक्षा</u> :–

24(1)– जिला स्तर पर जिलाधिकारी, उपसम्भागीय विपणन अधिकारी तथा सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा मण्डियों एवं क्रय-केन्द्रो पर धान के बाजार भाव एवम् धान आवक की नियमित समीक्षा की जायेगी। जिला स्तर पर जिला खरीद अधिकारी के पर्यवेक्षण में एक प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी, तथा कच्चा आढतिया द्वारा क्रय किये गये धान की केन्द्रवार/कच्चा आढतियावार समीक्षा की जायेगी। साथ ही धान क्रय के सबंध में की गई शिकायतों पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। प्रकोष्ठ कार्यालय दिवसों में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक क्रियाशील रखे जायेगें।

मण्डी निदेशक के स्तर से प्रतिदिन स्थानीय मण्डियों में होने वाली धान की मण्डीवार आवक एवं दैनिक बाजार भाव की सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय एवं सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में स्थापित खाद्य नियंत्रण कक्ष को अनिवार्यतः उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

24(2)– सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक तथा जनपद स्तर पर जिला खरीद अधिकारी एवं उप सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा कच्चा आढ़तियॉ के माध्यम से क्रय धान की निरन्तर समीक्षा की जायेगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि केन्द्रों पर डिस्ट्रेस सेल की स्थिति उत्पन्न न हो। जहाँ भी धान के बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने की सूचना प्राप्त हो अथवा कृषकों द्वारा डिस्ट्रेस सेल की संभावना प्रतीत हो वहाँ तत्परतापूर्वक सरकारी क्रय संस्थाओं/कच्चा आढतियों के माध्यम से कृषकों का धान का क्रय नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

24(3)– खाद्यायुक्त कार्यालय में धान खरीद एवं उद्ग्रहित कस्टम मिल्ड चावल का नियमित अनुश्रवण मुख्य विपणन अधिकारी, खाद्यायुक्त कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। क्रय संस्थाओं द्वारा प्रतिदिन क्रीत धान खरीद/कस्टम मिल्ड चावल की संकलित सूचना खाद्यायुक्त को ई–मेल–foodcommfcs@gmail.com पर तथा खाद्यायुक्त द्वारा साप्ताहिक आख्या प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रस्तुत की जायेगी।

25– <u>खरीदे गये धान का निस्तारण</u> :–

कच्चा आढतिया द्वारा क्रय किये गये धान को सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में पंजीकृत चावल मिलों से कुटाई कराकर निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का 50 प्रतिशत सम्प्रदान अनिवार्यतः स्टेट पूल तथा 50 प्रतिशत केन्द्रीय पूल योजना हेतु भारतीय खाद्य निगम को

किया जायेगा। स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो पर खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 हेंतु निर्धारित गुण–निर्दिष्टियों के अनुरूप न पाये जाने की दशा में यदि प्राप्तकर्ता स्टेटपूल डिपो प्रभारी/भारतीय खाद्य निगम डिपो द्वारा चावल को अस्वीकार कर दिया जाता है तो सम्बन्धित चावल मिलर द्वारा अपने निजी व्यापार हेतु क्रय धान से निर्मित चावल से प्रतिस्थापन लाट से प्रतिपूर्ति की जायेगी। केन्द्रीयपूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान किये जाने से पूर्व इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चावल की आपूर्ति बाधित न हो पाये।

26–<u>धान एवं कस्टम मिल्ड चावल के निरीक्षण हेतु दायित्व</u> :–

26(1)–प्रभावी एवं सुचारू रूप से धान खरीद सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक कच्चा आढ़तियॉ/चावल मिल को सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन अधिकारी द्वारा स्वयं अथवा अपने अधीन तैनात विपणन निरीक्षक के सीधे नियंत्रण व पर्यवेक्षण में सम्बद्ध किया जायेगा, जो प्रतिदिन संग्रहीत राजकीय धान एवं कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता एवं मात्रा का सत्यापन करेगा और उसकी रिपोर्ट सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन अधिकारी को देगा।

26(2)–वरिष्ठ विपणन अधिकारी भी स्वयं चावल मिलों में संग्रहीत राजकीय धान एवं कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता एवं मात्रा का सत्यापन करेगें और अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को प्रेषित करेगें।

26(3)– जिला खरीद अधिकारी एवं उप सम्भागीय विपणन अधिकारी भी रेण्डम आधार पर 10 प्रतिशत चयनित चावल मिलों में संग्रहीत राजकीय धान एवं कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता व स्टॉक का सत्यापन करेगें तथा पाक्षिक रिपोर्ट सम्भागीय खाद्य नियंत्रक एवं जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे, जिसकी एक प्रति खाद्यायुक्त को प्रेषित की जायेगी। इसी प्रकार सम्भागीय खाद्य नियंत्रक भी चयनित मिल परिसर में संग्रहीत राजकीय धान एवं कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता एवं मात्रा की जाँच से सम्बन्धित रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे और उसकी मासिक रिपोर्ट खाद्यायुक्त को प्रेषित करेंगे।

26(4)–समय–समय पर अपने अधीनस्थ स्टॉफ से रिपोर्ट न मिलने पर या अपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त होने की दशा में उससे उच्च अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वह तत्काल चयनित मिल या वरिष्ठ विपणन अधिकारी/उप सम्भागीय विपणन अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आने वाली मिल में भण्डारित राजकीय धान एवं कस्टम मिल्ड चावल के स्टॉक की आकस्मिक जाँच करें तथा उसकी रिपोर्ट प्रेषित करें।

26(5)– खाद्य आयुक्त कार्यालय द्वारा भी समय–समय पर क्रय केन्द्रों एवम् चावल मिलों में संग्रहीत राजकीय धान एवं कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता व स्टॉक का सत्यापन किया जायेगा तथा अपनी रिपोर्ट खाद्य आयुक्त को उपलब्ध करायी जायेगी।

26(6)–चावल मिलों में संग्रहित राजकीय धान एवं उद्ग्रहित कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता व स्टॉक की जाँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चावल मिल के स्टॉक की सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा क्रॉस चैकिंग व्यवस्था सुनिश्चित कराई जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक एक केन्द्र/जिले के स्टॉफ को दूसरे केन्द्र/जिले में भेजकर रैण्डम आधार पर समय–समय पर चावल मिलों में संग्रहीत राजकीय धान एवं कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता व स्टॉक का सत्यापन करायेंगे।

27– क्रय धान की कुटाई (कस्टम हलिंग) :–

27(1)– सम्भागों में चावल मिलों को सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक कार्यालय में धान की हलिंग करने हेतु अपना पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के पश्चात् खाद्य विभाग द्वारा मिलों का सत्यापन किया जायेगा, सत्यापन के उपरान्त चावल मिलों की क्षमता, चैहद्दी, मिल मशीनरी, कुटाई क्षमता के अनुरूप अपेक्षित विद्युत संयोजन, धान/चावल के भण्डारण हेतु मिल पर उपलब्ध फड/भण्डारण क्षमता भी सत्यापित की जायेगी। चावल मिलों को उनके पास उपलब्ध भण्डारण क्षमता तथा उनकी कुटाई क्षमता एवं मिल की साख/प्रतिष्ठा के आधार पर ही कुटाई हेतु धान प्रेषित किया जायेगा।

27(2)–भारत सरकार दिनांक 01.04.2023 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली/आई0सी0डी0एस0/पी0एम0 पोषण एवं ओ0डब्ल्यू0एस0 हेतु फोर्टिफाइड चावल की अनिवार्यता निर्धारित की गयी है। फलस्वरूप खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 के अन्तर्गत कच्चा आढतिया के माध्यम से क्रय किये गये धान से निर्मित कस्टम मिल्ड चावल को फोर्टिफाइड चावल के रूप में ही प्राप्त किया जाना है। इस हेतु सत्यापित/पंजीकृत चावल मिलों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों की ब्लेडिंग यूनिट की स्थापना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करा ली जाय, ताकि मानकों के अनुरूप चावल मिलों से फोर्टिफाइड चावल की अधिप्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

27(3)– धान की कुटाई के लिए सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा सम्बन्धित जनपद/केन्द्र के उपसम्भागीय विपणन अधिकारी एवं वरिष्ठ विपणन अधिकारी की संस्तुति पर ही केन्द्रवार चावल मिलर्स का चयन किया जायेगा एवं उसी चावल मिलर को क्रय धान कुटाई हेतु देने का निर्णय लिया जायेगा जो कि सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में पंजीकृत होगा। इस हेतु सम्भागीय खाद्य नियंत्रक सम्बन्धित केन्द्र के वरिष्ठ विपणन अधिकारी/उप सम्भागीय विपणन अधिकारी की आख्या प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

27(4)–क्रय केन्द्रों पर कच्चा आढतिया के माध्यम से क्रय किया गया धान ऐसी चावल मिलों से उनकी जमा प्रतिभूति, कुटाई क्षमता, क्षमता के अनुरूप विद्युत संयोजन, गत वर्षों में की गयी धान की कुटाई व साख के अनुसार सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा आवंटित किया जायेगा निर्धारित तिथि तक नई स्थापित चावल मिलों की विधिवत कुटाई क्षमता का सत्यापन एवं अन्य भूलेखों/सुसंगत अभिलेखों के परीक्षण/निरीक्षण तथा स्पष्ट संस्तुति प्राप्त होने उपरान्त ही विचार किया जा सकेगा।

27(5)–धान की कुटाई के लिए सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा क्रय केन्द्रो को सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन अधिकारी की अधिकारिता क्षेत्र में पड़ने वाली चावल मिलों से इस प्रकार सम्बद्ध किया जायेगा कि राज्य सरकार को परिवहन मद में कम से कम व्यय भार देना पडे। इसी प्रकार चावल मिलों को भी दूरी के आधार पर निकटतम स्टेटपूल डिपो/भारतीय खाद्य निगम डिपो से सम्बद्ध किया जायेगा ताकि परिवहन मद में कम से कम व्यय भार पड़े।

27(6)–चावल मिलर द्वारा कुटाई हेतु उपलब्ध कराये गये राजकीय धान से निर्मित होने वाले कस्टम मिल्ड चावल धान दिये जाने की तिथि से यथासम्भव 15 दिन में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को निर्दिष्ट डिपो पर प्राप्त कराया जाना अनिवार्य होगा। यदि कोई चावल मिलर कस्टम मिल्ड चावल देने में विलम्ब करता है तो सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन

अधिकारी/विपणन निरीक्षक द्वारा इसकी सूचना तत्काल उप सम्भागीय विपणन अधिकारी को दी जायेगी जिस पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा सम्बन्धित मिलर के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

27(7)–सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा क्रय धान की कुटाई हेतु नियुक्त चावल मिलर्स से निर्धारित प्रारूप पर क्रय नीति में प्राविधानित व्यवस्थानुसार शर्तों का निर्धारण कर अनुबन्ध सम्पादित किया जायेगा। जिस चावल मिलर को धान कुटाई हेतु उपलब्ध कराया जायेगा, वह राज्य सरकार को अपनी चावल मिल की कुटाई क्षमता के अनुसार विभाग के साथ सम्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के साथ एक सप्ताह के अन्दर अपनी कुटाई क्षमता के आधार पर 2.00 लाख रूपये प्रति टन अथवा 20.00 लाख रूपये जो भी अधिक हो, की एफ0डी0आर0 प्रतिभूति के रूप में जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत की गयी हो तथा सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक के नामे बंधक हो, उपलब्ध करायी जानी अनिवार्य होगी ।

27(8)–सम्भागीय खाद्य नियंत्रक राम्बन्धित बैंक में जमा प्रतिभूति की तथ्यात्मक पुष्टि कराये जाने के पश्चात ही चावल मिलर की अभिरक्षा में धान कुटाई हेतु उपलब्ध करायेंगे। चावल मिलर्स द्वारा समस्त कच्चा आढ़तियां/क्रय संस्थाओं से कुटाई हेतु प्राप्त किये गये राजकीय धान से निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान राज्य सरकार को कर दिये जाने के उपरान्त यदि उन पर कोई विभागीय देयता (सी0एम0आर0/बोरा) शेष नहीं रहती है तो वरिष्ठ विपणन अधिकारी की संस्तुति पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा सत्र की समाप्ति उपरान्त जमा प्रतिभूति चावल मिलर्स के पक्ष में अवमुक्त कर दी जायेगी।

27(9)–चावल मिलों को उपलब्ध कराया गया धान/कस्टम मिल्ड चावल सम्बन्धित चावल मिलर द्वारा किसी बैंक अथवा संस्था में बन्धक नहीं रखा जायेगा। यदि इस प्रकार की जानकारी संज्ञान में आती है तो सम्बन्धित चावल मिलर के विरूद्ध तत्काल वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उसे काली सूची में डालने की कार्यवाही सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

27(10)–सम्पूर्ण खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 में समस्त क्रय संस्थाओं एवं कच्चा आढ़तिया द्वारा क्रय धान की मात्रा केन्द्र पर पंजीकृत किसी एक चावल मिल को उसकी कुटाई क्षमता के आधार पर अधिकतम 30,000 कुन्तल तक कस्टम हलिंग हेतु दिया जा सकेगा। यदि उक्त प्रक्रिया का अनुपालन करने में किसी केन्द्र पर व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न होती है तो सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को तद्नुसार अपेक्षित कार्यवाही हेतु निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया जाता है। अन्यथा की स्थिति में उक्त का अनुपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जायेगा।

27(11)–कुटाई के लिए धान से निर्मित चावल की रिकवरी भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अरवा के लिये 67 प्रतिशत तथा सेला के लिये 68 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

27(12)–धान की कुटाई से सबंधित सूचना उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा ऑनलाईन खरीद रिपोर्ट प्रतिदिन ई–मेल के माध्यम से भी खाद्य विभाग के जनपदीय/सम्भागीय/खाद्य आयुक्त कार्यालय में स्थापित खाद्य नियत्रण कक्ष को प्रेषित की जायेगी।

27(13)–ब्लेक लिस्टेड, धान व चावल का गबन करने वाली, बकाया कस्टम मिल चावल (सी0एम0आर0) वाली, शासन को क्षति पहुँचाने वाली चावल मिलों एवं ऐसी चावल मिलों के

मालिक/प्रोपराइटर एवं उनके परिवारिक सदस्यों यथा माता/पिता, पति/पत्नी, पुत्र/अविवाहित पुत्री एव आश्रित भाई, बहन के स्वामित्व/भागीदारी वाली चावल मिलों से कस्टम मिलिंग का कार्य नहीं कराया जायेगा।

27(14)–सम्बद्ध चावल मिल की हलिंग क्षमता के अनुसार उसको पाक्षिक धान प्रेषण की मात्रा निर्धारित की जायेगी तथा इसके अनुसार ही क्रय केन्द्रों से सम्बन्धित चावल मिल को धान का प्रेषण कराया जायेगा। मिल को अगले पक्ष की धान प्रेषण की मात्रा निर्धारित करने पर पूर्व उसके द्वारा गत् पक्ष में प्राप्त धान की सापेक्ष सम्प्रदानित सी0एम0आर0 को संज्ञान में लिया जायेगा। यदि चावल मिल द्वारा भी तत्परता से सी0एम0आर0 सम्प्रदानित नहीं किया जाता है तो उसे धान का प्रेषण रोक दिया जायेगा, जब तक वह पूर्व प्रेषित धान के सापेक्ष सी0एम0आर0 सम्प्रदान नहीं कर देती है।

27(15)–खरीद विपणन सत्र 2022–23 हेतु जारी की जा रही धान क्रय नीति के प्रस्तरों में जो परिवर्तन इस क्रय नीति में किये जा रहे हैं, उक्त परिवर्तन यथोचित स्थान पर आवश्यकता अनुसार अनुबन्ध पत्र में भी रखे जायेंगे।

27(16)–कच्चा आढतिया द्वारा क्रय की गयी धान की मात्रा को आवंटित चावल मिलर्स द्वारा मिल हेतु ऑनलाईन डिस्पैच किया जायेगा तथा इससे प्राप्त यूनिक डिस्पैच आई0डी0 का अंकन मैनुअल चालान में भी किया जायेगा। प्रेषित धान की गुणवत्ता को जॉच कर प्राप्त करने का अधिकार सम्बन्धित मिल मालिक अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को होगा। धान की प्राप्ति मिलर द्वारा मिलर माड्यूल पर की जायेगी एवं ड्राईवर से प्राप्त मैनुअल चालान पर भी हस्ताक्षर कर प्राप्ति रसीद दी जायेगी किन्तु एक बार मैनुवल या ऑनलाईन व्यवस्था के माध्यम से प्रेषित चालान पर प्राप्ति का स्पष्ट आशय होगा कि मिलर के द्वारा गुणवत्ता एवं प्रेषित मात्रा के अनुरूप धान प्राप्त कर लिया गया है एवं गुणवत्ता एवं मात्रा को लेकर भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा। केन्द्र से प्रेषित धान की मात्रा का अंकन चावल मिलर द्वारा अपने रजिस्टर में किया जायेगा, जिसे निरीक्षण के समय मांगे जाने पर चावल मिलर द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। इसी प्रकार कस्टम मिल चावल को स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम के निर्दिष्ट गोदामों हेतु प्रेषण में भी केन्द्र प्रभारी द्वारा ऑन लाईन चालान जारी किये जायेंगे।

27(17)– क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय धान की कुटाई कराने हेतु सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा अपने कार्यालय में पंजीकृत चावल मिलों को उनकी जमा प्रतिभूति कुटाई क्षमता व साख के आधार पर क्रय संस्थाओं के धान कुटाई हेतु चावल मिलों का चयन करेंगे। इस हेतु सम्बन्धित जनपद के सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/उप सम्भागीय विपणन अधिकारी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

27(18)–सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा क्रीत धान को सम्बन्धित केन्द्र पर कार्यरत पंजीकृत समस्त चावल मिलों हेतु इस प्रकार आवंटन किया जायेगा कि सम्बन्धित मिलों से समयान्तर्गत कस्टम मिल्ड चावल का उद्ग्रहण सम्भव हो सके। यदि उक्त प्रक्रिया का अनुपालन करने में किसी केन्द्र पर व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न होती है तो सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को तद्नुसार अपेक्षित कार्यवाही हेतु निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया जाता है।

27(19)– जिन चावल मिलों/मिल मालिकों/भागीदारों/निदेशकों के विरूद्व सरकारी/अर्द्व सरकारी विभागों/संस्थाओं/परिषदों/समितियों/राष्टीकृत बैंको की बकाया धनराशि है अथवा जिन मिलों/मिल मालिकों/भागीदारों/निदेशकों के विरूद्व आपराधिक/विभागीय मामले चल रहे है अथवा सरकारी नजूल भूमि पर अवैध धान मिल संचालित की जा रही है अथवा अन्य कोई सरकारी सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द की गयी हो अथवा गत खरीफ–खरीद सत्र का कस्टम मिल्ड चावल समयान्तर्गत सम्प्रदान न किया गया हो अथवा खुर्द–बुर्द किया गया हो तथा जिन चावल मिलों में पर्याप्त क्षमता का विद्युत संयोजन न हो तथा जिन मिलों द्वारा मिल स्थापना से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही पूर्ण न की गयी हो ऐसी चावल मिलों को कस्टम हलिंग हेतु कदापि चयनित नही किया जायेगा ।

27(20)–किराये/ठेके/लीज पर चलाई जा रही चावल मिलों को धान कुटाई हेतु नहीं दिया जायेगा। क्रय धान की कुटाई हेतु चावल मिलों के चयन के समय सम्बन्धित केन्द्र के वरिष्ठ विपणन अधिकारी/उपसम्भागीय विपणन अधिकारी की संस्तुति भी प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। इसी प्रकार अन्य क्रय संस्थाओं से भी सम्बन्धित चावल मिलर्स के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

27(21)– राजकीय धान की कुटाई के लिए चयनित चावल मिल द्वारा राज्य सरकार की नामित क्रय संस्थाओं द्वारा कुटाई हेतु उपलब्ध कराये गये धान तथा अपने निजी व्यापार हेतु क्रय धान व इसकी कुटाई से सबंधित अभिलेख संस्थावार पृथक–पृथक रखे जायेंगे, ताकि निरीक्षण के समय स्टाक सत्यापित किये जाने पर किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसी प्रकार क्रय संस्थाओं द्वारा खरीदे गये धान और उससे निर्मित कस्टम मिल्ड चावल से संबंधित अभिलेख भी संस्थावार पृथक–पृथक रखे जायेंगे।

27(22)– चावल मिलर्स द्वारा कस्टम मिल्ड चावल के प्रत्येक बोरे के मुँह पर बाहर की ओर मशीन से सिलाई द्वारा 15x10 सेमी0 आकार की रैक्सीन/कैनवास की स्लिप, जिसमें चावल मिल का नाम, फसल वर्ष, कोड नम्बर, लाट संख्या, चावल की किस्म एवं चावल मिलर का मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से लगाया जायेगा।

27(23)– खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 में क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय केन्द्रों पर क्रय धान की कुटाई सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में पंजीकृत चावल मिलों से कराई जायेगी। मिलों से कस्टम मिल्ड चावल उद्ग्रहण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित केन्द्र के वरिष्ठ विपणन अधिकारियों का होगा।

28– <u>सी0एम0आर0 का सम्प्रदान</u> :–

28(1)–पंजीकृत चावल मिलर्स द्वारा अपनी मिल में क्रय संस्थाओं/कच्चा आढ़तियां के माध्यम से क्रय/प्रेषित धान की मात्रा से उद्धग्रहित कस्टम मिल्ड चावल की मात्रा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट स्टेटपूल डिपो/भारतीय खाद्य निगम डिपोज पर सम्प्रदान किया जायेगा, यदि स्टेटपूल/केन्द्रीय पूल में प्रेषित किया गया कस्टम मिल्ड चावल भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 हेतु निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तथा प्राप्तकर्ता डिपो प्रभारियों द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया जाता है तो चावल मिलर द्वारा कस्टम मिल्ड चावल की प्रतिस्थापन लॉट अपनी मिल में निजी व्यापार हेतु उपलब्ध चावल की मात्रा से पुनः स्टेटपूल/केन्द्रीय पूल में सम्प्रदान

किया जायेगा और ऐसी स्थिति में चावल मिलर को इस मात्रा का परिवहन/हैण्डलिंग मद अथवा अन्य किसी मद में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

यदि चावल मिलर कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान करने में असमर्थ रहता है अथवा कस्टम मिल्ड चावल राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं कराया जाता तो उतनी मात्रा में कस्टम मिल्ड चावल निर्मित करने में प्रयुक्त हुये धान का मूल्य, एस0बी0टी0 का मूल्य यथास्थिति (नया अथवा Once Used)तथा अन्य व्ययों की वसूली सम्बन्धित चावल मिलर्स द्वारा सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक के पक्ष में जमा करायी गयी प्रतिभूति अथवा मिलर्स के देयकों से सुनिश्चित की जायेगी।

28(2)–क्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा स्टेटपूल योजना में प्रेषित/संग्रहित किये गये कस्टम मिल्ड चावल का लेखा जोखा इस प्रकार रखा जायेगा कि स्टेटपूल में निर्धारित लक्ष्य से अधिक चावल का प्रेषण न होने पावे। क्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा जिस संग्रह एजेन्सी के डिपो के लिये कस्टम मिल्ड चावल का ऑन लाईन मूवमैन्ट चालान निर्गत किया जायेगा चावल उसी निर्दिष्ट सग्रंह डिपो पर अनिवार्यतः डिलीवर किया जायेगा। सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य), गढ़वाल/कुमायूँ सम्भाग द्वारा ऑन लाईन जनरेट किये गये मूवमेन्ट चालानों पर ही मिलर्स को भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा ऑफ लाईन चालानों का भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि चावल मिलर्स द्वारा भुगतान हेतु ऑफ लाईन चालान प्रस्तुत किये जाते हैं तो ऐसे चावल मिलर्स को सम्भागीय खाद्य नियन्त्रकों द्वारा भविष्य के लिये काली सूची में अंकित किया जायेगा।

28(3) केन्द्र प्रभारियों द्वारा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय से जारी संचरण प्रोग्राम के आधार पर ही निर्दिष्ट डिपो के लिए चावल मिलर्स को ऑन लाईन मूवमेंट चालान निर्गत किये जायेगें ताकि प्राप्तकर्ता डिपो पर अनावश्यक रूप से ट्रकों को हॉल्टिंग न देनी पड़े। प्राप्तकर्ता डिपो प्रभारियों द्वारा भी संचरण प्रोग्राम के आधार पर ही कस्टम मिल्ड चावल प्राप्त किया जायेगा। संचरण प्रोग्राम में अंकित मात्रा से अधिक चावल की मात्रा का न तो प्रेषण किया जायेगा तथा न ही उसका प्राप्तकर्ता डिपोज पर उतार किया जायेगा। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल/कुमायूँ सम्भाग भी क्रय संस्थाओं/कच्चा आढतियों द्वारा क्रय केन्द्रवार धान खरीद की समीक्षा कर तद्नुसार ही संचरण प्रोग्राम निर्गत करेंगे।

28(4) सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा मिलवार/डिपोवार संचरण प्रोग्राम निर्गत करने से पूर्व प्रत्येक वरिष्ठ विपणन अधिकारी से उसके कार्य क्षेत्र में पड़ने वाली चावल मिलों में क्रय संस्थाओं द्वारा कुटाई हेतु दिया गया धान तथा इससे निर्मित कस्टम मिल्ड चावल की सूचना प्राप्त की जायेगी। तद्नुसार ही केन्द्रों/जनपदों की आवश्यकतानुसार अथवा मांगानुसार संचरण प्रोग्राम निर्गत किया जायेगा।

28(5) सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा जारी संचरण प्रोग्राम के आधार पर प्रेषणकर्ता केन्द्र प्रभारियों द्वारा प्राप्तकर्ता केन्द्र प्रभारियों के साथ आपसी सामन्जस्य स्थापित करते हुए अपने–अपने केन्द्रों पर भण्डारण क्षमता का आंकलन कर तदनुसार सी0एम0आर0 का संचरण किया जायेगा ताकि प्राप्तकर्ता केन्द्र पर अनावश्यक रूप से ट्रक खडे न रहें। यदि भविष्य में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती है तो प्रेषणकर्ता केन्द्र प्रभारी के साथ–साथ प्राप्तकर्ता केन्द्र प्रभारी भी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा दोषी कार्मिकों

के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक एवं उप सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा भी इसका नियमित रूप से पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

28(6)—न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कच्चा आढ़तिया के माध्यम से क्रय किये गये धान से निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान स्टेटपूल/केन्द्रीय पूल में विलम्बतम् दिनाँक 31.07.2023 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

29—<u>धान के कुटाई से निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का भण्डारण</u> :—

विकेन्द्रीकृत योजना के अर्न्तगत स्टेटपूल में कस्टम मिल्ड चावल की मात्रा का भण्डारण खाद्यायुक्त द्वारा निर्दिष्ट/आरक्षित विभागीय गोदामों, राज्य भण्डारण निगम एवम् केन्द्रीय भण्डारण निगम से किराये पर लिये गये गोदामों में संग्रहीत कराया जायेगा। इस हेतु खाद्यायुक्त द्वारा CWC/SWC/विभागीय गोदामों की संग्रहण क्षमता आवश्यकतानुसार आरक्षित की जायेगी। कस्टम मिल्ड चावल के भण्डारण उपरान्त चावल की गुणवत्ता एवं संग्रहित स्टॉक की सुरक्षा हेतु सम्बन्धित संग्रह ऐजेन्सियाँ अपने—अपने डिपोज पर संग्रहित स्टॉक के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। संग्रहण ऐजेन्सियों द्वारा कस्टम मिल्ड चावल का लेखा—जोखा अनुरक्षित किया जायेगा।

राज्य में स्थित खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राज्य भण्डारण निगम एवं केन्द्रीय भण्डारण निगम के प्रत्येक गोदाम में जहाँ स्टेटपूल योजना का कस्टम मिल्ड चावल संग्रहित किया जायेगा, वहाँ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की विपणन शाखा का स्टॉफ तैनात किया जायेगा, जो संग्रहित डिपोज से चावल की मात्रा उसकी गुणवत्ता की जाँचोपरान्त ही स्टॉक प्राप्त करेगा और उसे राष्ट्रीय खाद्यसुरक्षा योजना, अन्त्योदय अन्न योजना एवम् Tide Over Allocation तथा समय—समय पर भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न को विभिन्न योजनाओं में आवंटित उप सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा निर्गत रिलीज ऑर्डर के आधार पर निर्गमन करेगा।

किसी केन्द्र पर सी0एम0आर0 के संग्रहण हेतु भण्डारण क्षमता की कमी होने पर अतिरिक्त संग्रहण क्षमता की आवश्यकता महसूस होती है तो सम्बन्धित केन्द्र के वरिष्ठ विपणन अधिकारी औचित्यपूर्ण प्रस्ताव सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को प्रेषित करेंगें। प्राप्त प्रस्ताव खाद्यायुक्त कार्यालय में प्रेषित किया जायेगा जिस पर आयुक्त खाद्य द्वारा निर्धारित सीमा तक स्वयं तथा अनुमन्य सीमा से अधिक किराये की दरों की वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा।

30— <u>धान क्रय—केन्द्रो का निरीक्षण</u> :—

30(1) धान खरीद की दृष्टि से चिन्हित जनपद के संवेदनशील क्षेत्रों में डिस्ट्रेस सेल को रोकने के उद्देश्य से जिलाधिकारी, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक तथा जिला खरीद अधिकारी द्वारा जनपदों में यथावश्यक भ्रमण एवं निरीक्षण कर कृषकों की सुविधा हेतु धान क्रय में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण सुनिश्चित कराया जायेगा।

30(2) जनपद में कृषकों को धान की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो रहा है एवं निर्धारित मानक के अनुरूप धान की डिस्ट्रेस सेल नहीं हो रही है, सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी धान खरीद, उप जिलाधिकारी व उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, सम्भागीय विपणन अधिकारी एवं सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक अपेक्षित कार्यवाही सम्पादित करेंगे।

30(3) कच्चा आढतियों को भौतिक रूप से क्रियाशील कराने, सुचारू रूप से धान क्रय, सम्प्रदान व बिलिंग आदि कराने हेतु सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, जिला खरीद अधिकारी, सम्भागीय विपणन अधिकारी/उप सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा अपेक्षित निरीक्षण किये जायेंगे।

खाद्यायुक्त स्तर से भी एक अनुश्रवण हेतु एक टीम, जिसमें मुख्य विपणन अधिकारी, सम्भागीय विपणन अधिकारी, उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, वरिष्ठ विपणन अधिकारी तथा विपणन निरीक्षक आवश्यकतानुसार सम्मिलित होंगे। गठित टीम द्वारा कच्चा आढतिया द्वारा संचालित केन्द्र, चावल मिलों में संग्रहित धान, निर्मित कस्टम मिल्ड चावल तथा स्टेटपूल डिपो पर चावल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आकस्मिक निरीक्षण किये जायेंगे तथा उसकी विस्तृत रिपोर्ट खाद्यायुक्त को उपलब्ध करायी जायेगी।

31— <u>खाद्य नियंत्रण कक्ष एवं खरीद के आँकडों का प्रेषण</u> :—

31(1) जिला स्तर पर जिला खरीद अधिकारी के पर्यवेक्षण में तथा सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के पर्यवेक्षण में एक खरीद प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी, जिसमें धान क्रय कार्य की नियमित समीक्षा की जायेगी। साथ ही साथ धान क्रय के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु तत्परता पूर्वक कार्यवाही की जायेगी।

31(2) राज्य स्तर पर धान खरीद की स्थिति के अनुश्रवण एवम् समीक्षार्थ खाद्य नियंत्रण कक्ष, आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, लाडपुर, देहरादून उत्तराखण्ड में कार्यशील है। नियमित धान खरीद से संबधित जनपदवार ऑनलाईन खरीद सूचना संबधित जनपद के जिला खरीद अधिकारी/उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा प्रतिदिन ई—मेल— foodcommfcs@gmail. com पर नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

32. <u>कठिनाईयों का निराकरण</u> :—

निर्गत धान क्रय नीति अथवा तत्सम्बन्धित शासनादेशों के क्रियान्वयन को सुगमता से लागू करने में यदि फिल्ड स्तर पर किसी प्रकार की कोई कठिनाई अनुभव की जाती है अथवा किसी प्रस्तर के लिये स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो इसके लिये आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग निर्णय लेने के लिये अधिकृत होंगे। यदि कोई ऐसा निर्णय लिया जाना अपेक्षित हो, जो नीति विषयक हो या जिसमें अनुमोदित नीति से विचलन निहित हो तो आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जनपदों/सम्भागों से प्राप्त सुझावों पर शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर नीति के अनुरूप राज्य के कृषकों के हित में आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये जाने किये जाने हेतु आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को अधिकृत होंगे।

धान खरीद में विभिन्न स्तरों पर उक्त प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।

संख्या 817 (i)/22–XIX-2/38 खाद्य/2020 टीसी तद्दिनांतकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2– प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
4– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
5– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
7– मण्डलायुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल ।
8– महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तराखण्ड।
9– क्षेत्रीय प्रबन्धक, राज्य/केन्द्रीय भण्डारण निगम, उत्तराखण्ड द्वारा खाद्यायुक्त।
10– निजी सचिव, मा0 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ हेतु।
11– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
12– वित्त नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,, उत्तराखण्ड ।
13– नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उत्तराखण्ड ।
14– सम्भागीय विपणन अधिकारी, गढवाल/कुमायूँ सम्भाग, देहरादून/हल्द्वानी।
15– सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, गढवाल सम्भाग/कुमाँयू सम्भाग ।
16– एनआईसी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अर्पण कुमार राजू),
उप सचिव।